अंता विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दोष सिद्धी की तारीख से कंवरलाल को सदस्यता से अयोग्य घोषित किया

- **कंवर लाल मीणा को एस.डी.एम. को पिस्टल दिखाने के बीस साल पुराने मामले में सन् 2020 में 3 साल की सज़ा हुई थी। गत एक मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें राहत नहीं दी तो 21 मई को कंवर लाल ने मनोहर थाना कोर्ट में आत्म समर्पण किया।**

जयपुर, 23 मई। राजस्थान विधानसभा में बारां जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवर लाल मीणा को एक मामले में तीन साल की सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य कर दिया। देवनानी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह साढ़े दस बजे महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता अयोग्य कर दी गई।

उन्होंने बताया कि अंता से विधायक कंवरलाल दोष सिद्धि की दिनांक से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत निरर्हित (अयोग्य) हो गए है। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता रिक्त हो गया है।

उल्लेखनीय है कि कंवरलाल मीणा को करीब बीस साल पुराने एसडीएम को पिस्टल दिखाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन साल की सजा हुई थी और इस मामले में गत सात मई को उच्चत्तम न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद मीणा ने 21 मई को झालावाड़ा जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट मनोहरथाना में आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद विधायक को जेल भेज दिया गया। तीन फरवरी 2005 को झालावाड़ ज़िले के मनोहर थाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के दौरान मीणा ने एसडीएम रामनिवास मेहता को पिस्तौल दिखाकर वोटों की दुबारा गिनती कराने के लिए धमकी दी थी। इस मामले में निचली अदालत में वे वर्ष 2018 में बरी हो गए थे, लेकिन एडीजे कोर्ट अकलेरा ने 2020 में उन्हें दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। इसके बाद मीणा ने उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां भी मीणा को राहत नहीं मिली और उच्च न्यायालय ने गत एक मई को यह सजा बरकरार रखी और इसके बाद उच्चत्तम न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

कंवरलाल मीणा के विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद देवनानी ने विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों पर कहा कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी मामले में उससे सम्बंधित प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके ही विधि सम्मत और न्याय सम्मत ही निर्णय लेते है। इससे पहले भी विधानसभा से संबंधित अनेक विषयों पर विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

देवनानी ने कहा कि विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया था। ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दिनांक से ही विधानसभा सदस्य, विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित हो जाता है। विधानसभा सीट के रिक्त होने की सूचना राजस्थान विधानसभा द्वारा जारी की जाती है।

देवनानी ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा के सदन में कार्रवाई में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है।

'एपल ने भारत में आईफोन बनाया तो 25% टैक्स लगेगा'

नई दिल्ली, 23 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एपल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का विनिर्माण भारत या किसी अन्य देश में किया गया तो कंपनी को 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया

- **डॉनल्ड ट्रंप ने एपल के सी.ई.ओ. टिम कुक को खुली धमकी दी।**

प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा, ''मैंने बहुत पहले एपल के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) टिम कुक को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही हो, भारत या अन्य किसी देश में नहीं।''

यदि एपल ऐसा नहीं करती है तो उसे अमेरिका को 25 प्रतिशत आयात शुल्क चुकाना पड़ेगा।

जस्टिस अभय एस. ओका सेवानिवृत

नयी दिल्ली, 23 मई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने शुक्रवार को कहा, मैं और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करने का सचेत फैसला किया।

न्यायमूर्ति गवई ने न्यायमूर्ति ओका के अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में ये घोषणा की। न्यायमूर्ति गवई मुख्य न्यायाधीश का पद संभाले के दिन भी अपने बारे में ये बात कह चुके हैं। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति ओका को गर्मजोशी और सम्मान के साथ विदाई दी। न्यायमूर्ति ओका का अंतिम दिन असाधारण समर्पण से भरा रहा, क्योंकि वह अपनी मां के निधन के ठीक एक दिन बाद काम पर लौटे और पीठ से दस फैसले सुनाए। मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली औपचारिक पीठ में न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानून अधिकारियों की ओर से भावात्मक विदाई दी गई। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति ओका को एक उत्कृष्ट न्यायाधीश और असाधारण सहयोगी बताते हुए संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा पर प्रकाश डाला।

'तमन्ना भाटिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जताई है और कहा कि केएसडीएल कन्नड़ लोगों के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। ऐसे में किसी गैर-कन्नड़भाषी को इसका चेहरा बनाना अनुचित है

सामाजिक कार्यकर्ता मरिलिंगेगौड़ा पाटिल ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शिकायत की है। सरकार का कहना है कि तमन्ना को ब्रैंड एंबेसडर बनाने का फैसला पूरी तरह व्यवसायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें किसी की क्षेत्रीय पहचान का कोई संबंध नहीं है मंत्री के अनुसार, इस पद के लिए दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना (दोनों कर्नाटक की निवासी) और कियारा आडवाणी जैसी अन्य लोकप्रिय अभिनेत्रियों पर भी विचार किया गया था।

जिन विद्यार्थियों को अपनी नौकरियाँ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में अग्रणी बना है।

यदि नये ज्ञान और खोजों का यह स्रोत समाप्त हो गया तो अमेरिका व्यापक क्षेत्रों में अग्रणी नहीं रह पायेगा।

इस प्रतिबंध को, खासकर चीनियों ने नकारात्मक रूप में लिया गया है और वहाँ सोशल मीडिया पर विदेशी छात्रों पर लगे प्रतिबंधों को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। चीन के एक लोकप्रिय चैट प्लेटफॉर्म पर एक चीनी नागरिक ने लिखा: अमेरिका को खुद को नष्ट करते देखना बहुत मजेदार है।

एक अन्य ने लिखा कि हावर्ड और अन्य आइवी लीग संस्थान चीन के मध्यवर्ग के लिए एक सपना हैं और इनमें प्रवेश मिलने को जीवन में प्रगति की सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है।

प्रशासन में कुछ लोगों को इस बात की आशंका है कि चीनी छात्र और शोधकर्ता अमेरिकी संस्थानों से संवेदनशील सामग्री चुपचाप चुरा सकते हैं। कई बार तो ये मामले बहुत बाद में सामने आते हैं।

भारतीय छात्र अमेरिका के शीर्ष श्रेणी के संस्थानों का एक बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से कई छात्र अमेरिका में ही रुक जाते हैं और वहां के अकादमिक, औद्योगिक और अनुसंधान क्षेत्र को समृद्ध बनाते हैं। हाल ही में, ऐसे छात्रों ने अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत में भी ऊँचाइयों को छुआ है।

अमेरिकी उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है।

वर्तमान प्रतिबंधों के संदर्भ में, अब भारतीय छात्रों और उनके अमेरिका में रहने पर भी नजर रखी जाएगी।

अब आवश्यक यह है कि इन प्रतिभाओं को कैसे भारत वापस लाया जाए, ताकि भारतीय अनुभव को और समृद्ध किया जा सके। सरकार को इस स्थिति के लिए अभी से योजना बनानी चाहिए।

- **अमेरिका द्वारा मेधावी विदेशी विद्यार्थियों को अमेरिका में प्रवेश पर नियंत्रण करने से, अब अमेरिका में ''ब्रेन ड्रेन'' की स्थिति बनेगी। चीन के एक दार्शनिक ने कटाक्ष किया, ''मज़ा आ रहा है, अमेरिका को ''आत्महत्या'' करता देखकर।''**
- **क्या भारत को, भारतीय विद्यार्थियों को, जो अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, वापस भारत में बुलाने व काम करने के लिए कुछ पैकेज नहीं देना चाहिए।**

भारत पूरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहायता मंजूर की, जिसमें 11 शर्तें लगाई गईं।

एक उच्चस्तरीय सूत्र ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि आईएमएफ ऋण को रोकने में भारत की विफलता के पीछे की असली कहानी यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना मित्र बताते हैं, इस्लामाबाद को आईएमएफ ऋण से वंचित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे।

उन्होंने कहा, एक अन्य राजनीतिक सूत्र ने कहा कि सरकार की मीडिया प्रबंधन टीमें मीडिया में यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत असफल नहीं हुआ।

दिवंगत पुत्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बिना नॉमिनी घोषित संपत्तियों में ही मां को समान राशि प्राप्त करने का हकदार माना था। इस आदेश को हेमलता शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसके बेटे आनंद दाधीच की 1.07 करोड़ की राशि में से उसका एक-तिहाई हिस्सा 35,92,412 रुपए दिलाए जाने के आदेश दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत बेटे की संपत्ति में मां का भी समान हक एवं अधिकार हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन एक कानूनी व्यवस्था है, जो किसी व्यक्ति को मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति का प्रबंधन करने और उसे ट्रस्ट में रखने के लिए नामित करती है। संपत्ति का स्वामित्व नॉमिनेशन के ज़रिए नॉमिनी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

रिश्वत प्रकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एमएलए है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। इसके विरोध में एसीबी की विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम व शिकायतकर्ता के अधिवक्ता गौरीशंकर खंडेलवाल ने बताया कि मामले में किए गए अनुसंधान से स्पष्ट है कि आरोपी ने करौली जिले स्थित खानों के सही नहीं चलने के संबंध में लगाए गए प्रश्नों को डिलीट करने के लिए 2.50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और पहली किश्त 20 लाख रुपए दलालों के जरिए ली। मामले में अनुसंधान जारी है।

'महिला अफसर को ''रिलीज़''..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने केन्द्र एवं आई ए एफ की ओर प्रस्तुत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से आफिसर को स्थाई कमीशन न दिये जाने का कारण पूछा।

भाटी ने बताया कि वे (ऑफिसर) सशस्त्र सेना पृष्ठभूमि से हैं तथा इसलिए उन्हें इस प्रकार के ऑफिसरों की दुर्दशा की जानकारी है, लेकिन भाटी ने यह भी कहा कि चयनबोर्ड ने ऑफिसर को अनफिट पाया था। भाटी ने कहा कि ऑफिसर विभाग को कोई पत्र लिखे बिना ही सीधी सर्वोच्च न्यायालय आ गई। एडवोकेट ने बैंच को सूचित किया कि दूसरा चयन बोर्ड इनके प्रकरण पर विचार करेगा।

बैंच ने आदेश दिए कि पांडेय को आगामी आदेश तक सेवामुक्त नहीं किया जाएगा तथा सुनवाई की अगली तारीख 6 अगस्त दे दी गई।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से अधिकारी के पक्ष में कोई मामला नहीं बनेगा और उसके केस के सभी तर्क दावे खुले रहेंगे।

भाटी ने कहा उन्हें अधिकारी के सेवा में बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सशस्त्र बलों के अधिकांश अफसर बहुत ही शानदार है पर मुद्दा मूलत: तुलनात्मक योग्यता व सेना का युवा बनाए रखने की आवश्यकता से संबंधित है।

उन्होंने कहा वायु सेना ''पिरामिड शैली'' का पालन करती है जिसमें कुछ अफसरों को 14 साल की सेवा के बाद पद छोड़ना होता है ताकि उनकी जगह नए अफसर ले सकें।

न्यायमूर्ति कांत ने भाटी से कहा कि सशस्त्र बलों में इतनी क्षमता होनी चाहिए की सभी एस एस सी अधिकारियों को, यदि वे उपयुक्त पाए जाएं, तो स्थायी कमीशन में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा, ''महिला अधिकारियों ने अत्यंत अच्छा प्रदर्शन किया है। जब लंबे समय तक उन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिलता, तभी एस एस सी के माध्यम से भर्ती होती है। यही कारण है कि 10, 12 या 15 वर्षों के बाद आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। यदि आपके पास 100 एस एस सी अधिकारी हैं, और वे उपयुक्त हैं, तो आपकी नीति में 100 को स्थायी कमीशन देने की क्षमता होनी चाहिए।''

इस पर भाटी ने कहा कि सामान्यत: 100 में से लगभग 90-95 प्रतिशत अधिकारी फिट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ केवल तुलनात्मक योग्यता के कारण चयन से बाहर हो जाते हैं।

उन्होंने कहा ''पदों की संख्या सीमित होती है, और यह एक बहुत तीखे ढलान वाला पिरामिड संरचना है।''

कोटा में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो चुके हैं। जज ने पूछा, ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? क्या सरकार ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है।

राजस्थान सरकार के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908